न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

संजय चौबे पिता सीताराम चौबे
निवासी कोर्ट रोड, 10 सिविल लाईन, सागर
तहसील व जिला सागर (म.प्र.) — — — निगरानीकर्ता/आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन — — — गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता/आवेदक न्यायालय श्रीमान् जिलाधीश महोदय के दाखिल रिकार्ड राजस्व प्रकरण क्रमांक 42बी/121/2015–16 पक्षकार संजय बनाम म.प्र. शासन धारा 240/241 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 24.11.2015 में 8 माह बाद पुनः एकपक्षीय अवैधानिक एवं अधिकारितावहीन कार्यवाही करते हुये वनमंडलाधिकारी दक्षिण वनमंडल सागर एवं अन्य को प्रेषित किये गये न्यायालयीन आदेश दिनांक 20.7.16 (संलग्नक 41) एवं उसकी अनुवृत्ति में जारी आदेश दिनांक 9.9.16 (संलग्नक 42) की कार्यवाही से पीड़ित होकर यह निगरानी याचिका निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है। निगरानी समय अवधि में प्रस्तुत की गयी है, जिसकी विवेचना धारा 5 समयावधि विधान के आवेदन में की गयी है।

(1) यह कि, निगरानीकर्ता/आवेदक की भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि खसरा नं. 11/1, 11/2, 13/1, 53, कुल रकवा 5.87 हे., ग्राम महका प.ह.नं. 55, रा.नि.मं. सहजपुर, तह. केसली, जिला सागर स्थित है, जिसमें आवेदक म.प्र.भू.रा.सं. 1959 के प्रथम संशोधन अधिनियम 8.8.97 एवं द्वितीय संशोधन अधिनियम 17.10.2003 के अनुरूप सागौन वृक्षों की रोपणी बनाकर खेती करता है।

(2) यह कि, संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के तहत् भूमिस्वामी कृषक को उसकी भूमि में स्थित इमारती वृक्षों को काटकर गिराने अथवा गिरे हुए वृक्षों को हटाने एवं वन विभाग को निर्वर्तन हेतु सौंपने बावत् अनुमति प्रदान की जाती है। संहिता 1959 के संशोधित नियम 2007 के तहत् वर्तमान में उक्त अनुमति प्रदान करने हेतु सक्षम न्यायालय तहसीलदार है। विधि अनुसार भूमिस्वामी कृषक वृक्षों की कटाई अथवा गिरे हुए वृक्षों को हटाने हेतु तहसीलदार को आवेदन करता है। तहसीलदार आवेदन की एक प्रति संबंधित उपवनमंडलाधिकारी एवं दूसरी प्रति ग्राम पंचायत को प्रेषित कर उनके द्वारा भेजे गये जॉच प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण में अनुमति प्रदान करता है अथवा अनुमति से इंकार करता है। अनुमति प्रदान करने पर वन एवं राजस्व अधिकारियों के मार्गदर्शन में वृक्षों को शासकीय पद्धति अनुसार उपयोग

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3859 –एक/16 जिला – सागर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
15-11-16	यह निगरानी कलेक्टर सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 42बी/121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20.7.2016 एवं दिनांक 9.9.2016 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत् प्रस्तुत की गयी है। 2– प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में उल्लिखित होने से उन्हें पुनः नहीं दोहराया जा रहा है। 3– मैंने आवेदक के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपनी बहस निगरानी आधारों पर केन्द्रित करते हुए मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि आवेदक के आवेदन पर तहसीलदार केसली द्वारा विधिवत् प्रकरण क्रमांक 2996/बी–121/ 2013–14 दर्ज कर पंचायत, वन एवं राजस्व विभाग के संयुक्त जाँच दल से गहन जाँच कराई गई, जिसके अनुसार ही एवं इश्तहार जारी करने के बाद कोई आपत्ति न आने पर कलेक्टर सागर के निर्देशानुसार ही तहसीलदार केसली ने अपने आदेश दिनांक 23.11.2015 से वनमंडलाधिकारी को भुगतान हेतु निर्देशित करते हुए अपने पत्र दिनांक 7.12.2015 से कलेक्टर सागर को भी प्रकरण की वस्तुस्थिति से अवगत कराया। आवेदक का कहना है कि मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा भी रिट याचिका क्र. 10452/2015 में उक्त तथ्यों का संज्ञान लेकर आदेश दिनांक 17.2.2016 से तहसीलदार केसली के आदेश दिनांक 23.11.2015 के अनुसार भुगतान की कार्यवाही 30 दिवस में पूर्ण करने हेतु	

वनमंडलाधिकारी दक्षिण वनमंडल सागर को निर्देशित किया गया, जिसके पालन में भुगतान का निर्णय म.प्र. शासन, राजस्व विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 23.4.2016 से म.प्र. शासन, वन विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 25.7.2016 एवं 27.8.2016 से लिया गया। अपने तर्कों के समर्थन में आवेदक ने विधि विभाग से परामर्श एवं जाँच उपरान्त समस्त राजस्व अधिकारियों को दिये गये स्पष्ट निर्देशों, 2012 आर.एन. 35 उच्च न्यायालय सहित अन्य अनेक न्याय दृष्टांतों का हवाला देते हुए अधीनस्थ न्यायालयों के सभी आदेश निरस्त करने तथा तहसीलदार केसली के आदेश दिनांक 23.11.2015 को स्थिर रखने एवं उसके अनुसार ही वनमंडलाधिकारी दक्षिण वनमंडल सागर को निर्वर्तन की शेष कार्यवाही अर्थात् भुगतान करने हेतु निर्देशित करने का निवेदन किया है। अनावेदक शासन के अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर न्यायालय के आदेशों को उचित बताकर निगरानी को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4– उभय पक्षों के तर्कों एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि – (1) कलेक्टर सागर के ही निर्देशानुसार तहसीलदार केसली द्वारा पारित आदेश के उपरांत कलेक्टर सागर द्वारा पारित प्रत्यावर्तित आदेश विधि सम्मत है अथवा नहीं ? (2) वर्तमान कलेक्टर सागर ने तत्कालीन कलेक्टर सागर के द्वारा पारित आदेश उपरांत निराकृत दाखिल रिकार्ड प्रकरण में राजस्व मंडल की अनुमति लिये बगैर एवं हितबद्ध पक्षकार को सूचित किये बगैर स्वप्रेरणा से पुनरावलोकन करते हुये अपने आदेश दिनांक 20.7.2016 एवं आदेश दिनांक 9.9.2016 जारी किये हैं, वे विधि सम्मत है अथवा नहीं? संहिता की धारा 49 की उपधारा (3) में म.प्र. अधिनियम क्र. 42 सन् 2011 द्वारा दिनांक 30.12.2011 से संशोधन करते हुये प्रत्यावर्तन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। प्रकरण दिनांक 9.12.2014 से

24.11.2015 तक पर्याप्त समय के लिये विचारण हेतु कलेक्टर सागर के समक्ष लंबित था। वे चाहते तो प्रकरण में अपने अनुसार आवश्यक जाँच करा सकते थे। उनके द्वारा प्रकरण में स्वयं निर्णय न लेकर अपने आदेश दिनांक 24.11.2015 से गुण–दोषों पर निराकरण हेतु प्रकरण तहसीलदार केसली को प्रत्यावर्तित कर दिया, जो अवैधानिक है। उनके द्वारा आवेदक की तरफ से उठाये गये तर्कों की भी विवेचना उचित एवं विधि सम्मत तरीके से नहीं की गयी और न ही आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों पर विचार किया गया। संहिता की धारा 51 एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को उसके पक्ष में पारित आदेश दिनांक 23.11.2015 एवं मान. उच्च न्यायालय तथा शासन के आदेशों के विपरीत वर्तमान कलेक्टर सागर ने तत्कालीन कलेक्टर सागर द्वारा दिनांक 24.11.2015 को निराकृत दाखिल रिकार्ड प्रकरण 42बी/121/2015–16 में राजस्व मंडल से अनुमति प्राप्त किये बगैर एवं हितबद्ध पक्षकार को सूचित एवं सुनवाई का अवसर दिये बगैर स्व–प्रेरणा से पुनरावलोकन करते हुये आदेश दिनांक 20.7.2016 से जिला स्तरीय जाँच समिति का गठन एवं उसकी अनुवृत्ति में जारी आदेश दिनांक 9.9.2016 से भुगतान पर रोक लगायी है, जो विधि सम्मत नहीं होने से स्थिर रखने योग्य नहीं है। प्रकरण में मात्र भुगतान शेष है, जिसके लिये मान. उच्च न्यायालय एवं शासन ने सहमति दी है। संहिता की धारा 240 एवं 241 के तहत् प्रकरण के निराकरण एवं राज्य शासन के भुगतान हेतु निर्णय के उपरांत पुनः वैधानिकता की जाँच हेतु इस तरह की जाँच समिति गठित करने का अधिकार कलेक्टर को प्राप्त नहीं है। परिणामतः कलेक्टर सागर न्यायालय के द्वारा पारित सभी आदेश निरस्त किये जाते हैं एवं तहसीलदार केसली द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.11.2015 विधि सम्मत होने से स्थिर रखा जाता है। वनमंडलाधिकारी दक्षिण वनमंडल सागर, तहसीलदार केसली द्वारा पारित आदेश दिनांक

23.11.2015 के अनुसार प्रकरण में आवेदक की सागौन काष्ठ के 1268 इमारती नगों एवं 17 जलाऊ फड़ियों का नियमानुसार तीस दिवस के अंदर भुगतान करें। निगरानी स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति सहित वापिस किया जाये, उभयपक्ष सूचित हो, इस न्यायालय का अभिलेख दाखिल रिकार्ड किया जाये।

सदस्य